



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0-14-03

क्रमांक- 77/2017

आरबीई सं0-34/2017

सं0 ई/538/8/भाग-IV/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 25-04-2017

विषय:- पूर्ववर्ती वर्ग 'घ' एवजी में एक्ट अप्रेंटिसों का इंगेजमेंट।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एमपीपी) 2009/6/14 पार्ट दिनांक 12.04.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(२० के० सिंह)
25.04.17

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- नुकार्याजी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
17 APR 2017
RB
महाप्रबन्धक



Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

(RBE No. 34/2017)

No. E(MPP)2009/6/14 Pt.

New Delhi, Dated 12.4.2017

NER
The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units.

Sub: Engagement of Act Apprentices in erstwhile Group 'D'
Substitute.

Pursuant to amendment in the Apprentices Act, 1961, Board has issued instructions vide RBE No.71/2016 (E(NG)II/2016/RR-1/8 dated 21.06.2016), providing that 20% of the vacancies in case of direct recruitment to posts/categories in Pay Band-1 of Rs 5,200-20,200 having Grade Pay of Rs 1800/- shall be filled giving preference to Course Completed Act Apprentices (CCAAs) trained in Railway establishments and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC).

In view of the above, the instructions of Board vide E(MPP)/2002/12/26/ Vol.II dated 21.06.04 (RBE. No. 136/2004) stand withdrawn with immediate effect.

(Mahendra Kumar Gupta)
Director/MPP
Railway Board.

यच्चा और
श्री एलेन मिश्रा

19/4/17
श्री अजयमान
प्रचारित और
19/4/17